जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक-09.04.2025**

थाना थानाभवन पुलिस द्वारा थानाभवन क्षेत्रान्तर्गत मौहल्ला सैय्यादान में दुकान के बाहर से चोरी की घटनाओं में वांछित चोर गिरफ्तार, कब्जे से मोबाईल फोन बरामदः-

ज्ञात हो कि दिनांक 17.01.2025 को वादी श्री अंकुर कुमार पुत्र राजकुमार निवासी मौहल्ला सैय्यादान निवासी थाना थानाभवन जनपद शामली तथा दिनाँक 29.03.2025 को श्री राजकुमार पुत्र हरिराम व हिमांशु पुत्र रामकुमार निवासीगण मौहल्ला सैय्यादान निवासी थाना थानाभवन जनपद शामली की दुकान के बाहर से सामान उतारते समय ट्राली/रेहड़े से अज्ञात चोरो द्वारा चोरी कर ली गयी थी। घटनाओं के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किये गये थे।

इसी क्रम में आज दिनांक 09.04.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम द्वारा चलाये जा रहे चोरी/लूट की घटनाओं के अनावरण एवं इनमें लिप्त/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल पर्यवेक्षण में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा थाना थानाभवन क्षेत्रान्तर्गत मौहल्ला सैय्यादान में दुकान के बाहर से चोरी की घटना में वांछित चोर को चोरी का सामान बेचकर प्राप्त नगदी से खरीदे गये मोबाईल फोन सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना थानाभवन पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। घटना में लिप्त अभियुक्त शौकीन व आरिफ को थाना थानाभवन पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर दिनाँक 08.04.2025 को जेल भेजा जा चुका है।

नाम व पता अभियुक्तः-

1.साकिब पुत्र जमशेद निवासी ग्राम मानकमऊ थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

1-चोरी का सामान बेचकर प्राप्त नगदी से खरीदा गया मोबाईल फोन वीवो 19 मय चार्जर।

थाना बाबरी पुलिस द्वारा 01 वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की गयी मोटर साईकिल बरामदः-

ज्ञात हो दिनाँक 15.03.2025 को वादी रवि कुमार पुत्र ओमपाल निवासी ग्राम मौहम्मदपुर माँड़न थाना भौरा कलां जनपद मुजफ्फरनगर की मोटर साईकिल रजि0नं0 UP19P7953 को थाना बाबरी क्षेत्रान्तर्गत हाईवे के किनारे से अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ली गयी थी। घटना के सम्बन्ध में थाना बाबरी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 09.04.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल पर्यवेक्षण में थाना बाबरी पुलिस द्वारा 01 वाहन चोर को चोरी की गयी मोटर साईकिल सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बाबरी पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1.सावेज पुत्र रियाज निवासी बनत थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.चोरी की गयी मोटर साईकिल रॉयल एनफील्ड बुलेट रजि0नं0 UP19P7953।

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा सट्टा लगाते हुए 01 जुआरी गिरफ्तार, कब्जे से नकदी, सट्टा ड़ायरी व पैन बरामदः-

आज दिनांक 09.04.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर 01 जुआरी को सट्टा लगाते हुये नकदी 540/- रुपये एवं सट्टा डायरी व पैन सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.अंकित पुत्र देवेन्द्र निवासी ग्राम पिण्डौरा जहांगीरपुर थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.नकदी 540/- रुपये।

2.सट्टा डायरी व पैन।

<u>थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 10 लीटर कच्ची शराब बरामदः-</u>

आज दिनांक 09.04.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार अवैध शराब के अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को अवैध 10 लीटर कच्ची शराब सहित गिरफ्तार करने मे महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1.सूरज उर्फ संदीप पुत्र जनार्धन निवासी ग्राम खानपुर जाटान थाना झिंझाना जनपद शामली।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

1.अवैध 10 लीटर कच्ची शराब।

<u>थाना झिंझाना पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः-</u>

आज दिनांक 09.04.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-</u>

1.मुस्तकिम पुत्र इदरीश निवासी ग्राम झाडवन थाना तितरो जनपद शामली।

"आपरेशन क्लीन" अभियान के अन्तर्गत थाना बाबरी जनपद शामली पुलिस द्वारा थाना प्रांगण में खड़े मुकदमाती/एमवी एक्ट के कुल 37 वाहन को नीलाम कराये जाने के संबंध मेः-

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे "आपरेशन क्लीन" अभियान के क्रम में माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में दिनांक 29.03.2025 में गठित समिति व जिलाधिकारी शामली व पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक के निर्देशन में जनपद शामली के थाना बाबरी पर सीजशुदा/मुकदमाती वाहनों की नीलामी हेतु एक संयुक्त टीम गठित की गयी, जिसमें में श्री विनय प्रताप भदौरिया (उप जिला मजिस्ट्रेट), क्षेत्राधिकारी थानाभवन जनपद शामली श्रीमती श्रेष्ठा ठाकुर, सम्भागीय परिवहन अधिकारी श्री रोहित कुमार राजपूत, अभियोजन अधिकारी श्री आसिफ सिकन्दर व थानाध्यक्ष बाबरी श्री राहुल कादयान मौजूद रहे। गठित टीम की मौजूदगी में आज दिनांक 09.04.2025 को थाना बाबरी शामली पर कुल 37 वाहन (13 वाहन चार पहिया , 24 वाहन दो पहिया) को थाना प्रांगण में बोली दाताओं के साथ मूल्याकन कर नीलामी कराई गई। 37 वाहनो के न्यूनतम मूल्य 2,06,000/- रूपये के सापेक्ष अधिकतम बोलीदाता श्री निशिकांत संगल पुत्र रमेश कुमार संगल नि0 मौ0 धर्मपुरा थाना कोतवाली जनपद शामली के द्वारा सबसे अधिक बोली 17,00,000/- रूपये नीलाम हुए वाहनों से राजस्व के रुप मे प्राप्त हुई।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 03 मामलो में 07 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा व 12,500/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया:-

1.-वर्ष 1998 में अभियुक्तगण 1.अखलाक पुत्र सत्तार निवासी ग्राम ओठापुर थाना छपरौली जनपद बागपत 2.हारूण पुत्र जमील 3.इशाक उर्फ अशफाक पुत्र हमीद निवासीगण मौहल्ला खैलकला थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 320/1998 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 09.04.2025 को माननीय न्यायालय CJJD/ACJM कैराना शामली द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को दोषी पाते हुये जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 1,100-1,100/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 05-05 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

2.-वर्ष 2004 में अभियुक्तगण 1.शहजाद पुत्र अफजाल निवासी मौहल्ला चमारान थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर 2. अकबर पुत्र फैय्याज निवासी मसावी थाना थानाभवन जनपद शामली के विरुद्ध थाना थानाभवन पर मु0अ0सं0 230/2004 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 09.04.2025 को माननीय न्यायालय CJJD/JM कैराना शामली द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को दोषी पाते हुये जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 1,100-1,100/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 05-05 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

3.-वर्ष 1999 में अभियुक्तगण 1.अरविन्द कुमार पुत्र विनोद 2.पंकज पुत्र विनोद निवासीगण कस्बा जलालाबाद थाना थानाभवन जनपद शामली के विरुद्ध थाना थानाभवन पर मु0अ0सं0 114ए/1999 धारा 379/504/506 भादवि व 4/10 उ0प्र0 वन अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 09.04.2025 को माननीय न्यायालय CJJD/JM कैराना शामली द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को दोषी पाते हुये जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 3,500-3,500/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 05-05 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI